रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2014/भाद्र 4, 1936
No. 207] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2014/BHADRA 4, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2014

सं. यू. 23013/01/2010–एलडब्ल्यू.—ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 2010 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग–I, खण्ड–1 में प्रकाशित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, के संकल्प में निम्नलिखित संशोधन का निदेश देता है :–

उक्त संकल्प में क्रम संख्या (2) के अन्तर्गत पैरा 2, पैरा 4 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित नामित का प्रतिस्थापन किया जाता है :–

2(2) श्री प्रभाकर सिंह, ... सदस्य
मुख्य अभियंता (एनडीजेड–1)
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011

4. इस समिति का मुख्यालय मुम्बई में होगा। समिति नए सिरे से पार्टियों को सुनेगी, उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा देगी और इस संकल्प के प्रकाशित होने के दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

जी. के. कालरा, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD)

RESOLUTION

New Delhi, the 25th, August, 2014

No. U-23013/01/2010-LW.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby directs that the following amendments shall be made in the Resolution of the Government of India, Ministry of Labour and Employment published in the Gazette of India, Extraordinary Part-I, Section-1 dated 23-4-2010, namely :—

In the said Resolution for Para-2 under serial number (2), Para-4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely :—

2(2). Shri Prabhakar Singh, … Member
Chief Engineer, (NDZ-1)
Central Public Works Department,
Nirman Bhawan,
New Delhi-110011

4. The Headquarter of the Committee will be at Mumbai. The Committee shall hear the parties afresh, allow submission and submit its report within two months from publication of this Resolution.

G. K. KALRA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.